न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 57 / 2014 **दायर दिनांक :—27.06.2014**

उनवान

1. भोजराज उम्र 40 वर्ष पुत्र चतरभुज दत्तक पुत्र रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू हाल मुकाम राता मोहल्ला केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. रामनाथी बाई उम्र 70 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. नन्दकिशोर उम्र 55 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुसाई निवासी बगली हाल मुकाम पावर हाउस बारां तहसील बारां जिला बारां (राज०)
3. कस्तूरी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि गोरधन जाति गुसाई निवासी छतरिया के पास मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
4. शंकरलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति गुसाई निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. शिवराम उम्र 55 वर्ष पुत्र चतरा उर्फ चतरभुज जाति गुसाई निवासी बंगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. भोजराज उम्र 40 वर्ष पुत्र चतरा उर्फ चतरभुज जाति गुसाई निवासी राता मोहल्ला केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)
7. चाहन्या बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि सत्यनारायण जाति गुसाई निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. सज्जन बाई उम्र 48 पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि भैरूलाल जाति गुसाई निवासी गोविन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. अनोख बाई उम्र 37 वर्ष पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि भीमराज जाति गुसाई निवासी पुराने थाने के सामने केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज०)

11. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां (राज०)

12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)

13. कैलाशचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति गुसाई निवोसी गोत्तम कालोनी वार्ड नं. 46 कोटा तहसील लांडपुरा कोटा जिला कोटा (राज०)

14. भगवानलाल आयु 30 पुत्र रमेशचन्द जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188, 89, 91, 53, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 1, 13 व 14

निर्णय दिनांक :— 05.03.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 89, 91, 53, 183, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर तहसील अटरू में खाता सं. 38 का ख.नं. 8 का रकबा 1.80 हेक्टर आराजी स्थित है। इसी तरह से माल मोतीपुरा जागीर तहसील अटरू में खाता सं. 152 का ख.नं. 3 का रकबा 1.46 हेक्टर आराजी स्थित है। जो मृतक रामकल्याण के गैर खाते–दारी में दर्ज है इसी तरह से ग्राम एवं माल बगली तहसील अटरू में खाता सं. 13 का ख.नं. 70/616 का रकबा 0.64 हेक्टर, ख.नं. 313 का रकबा 0.04 हेक्टर, ख.नं. 314 का रकबा 0.04 हेक्टर, ख.नं. 315 का रकबा 0.05 हेक्टर, ख. नं. 319 का रकबा 0.06 हेक्टर, ख. नं. 324/618 का रकबा 0.11 हेक्टर कुल किता 6 का कुल रकबा 0.94 हेक्टर आराजीयात स्थित है। वाद पत्र के साथ में नवीन जमाबन्दी तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05/03/2014 तथा नामान्तकरण सं. 298 दिनांक 20/05/2014 की नकले तथा रामकल्याण द्वारा निष्पादित शपथ पत्र व ग्राम वासियान बगली का प्रमाण पत्र पेश है जो काबिल गौर है। खातेदार जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को उक्त वाद में पक्षकार दर्ज किया गया है। उक्त वाद में वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें वादी को मात्र प्रतिवादिया

क्रम 1 से ही अनुतोष प्राप्त करना है तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 9 को उक्त वाद मे सह खातेदार होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। वादी प्रतिवादिया क्रम 1 रामनाथी बाई के पति रामकल्याण उर्फ कल्याण का दत्तक पुत्र गोद पुत्र एक मात्र वारिस है। वादी बचपन से ही रामकल्याण उर्फ कल्याण के गोद चला गया था। उसके बाद में दिनांक 29/09/2013 को स्वयं रामकल्याण ने शपथ पत्र लिखकर दिया था कि मेरी चल एवं अचल सम्पत्ति का वारिस भोजराज होगा। मैंने भोजराज को 22 वर्ष पहले ही गोद ले लिया था तथा समस्त ग्रामवासीयान का प्रमाण पत्र भी वादी को गोद लेने की तस्दीक करता है जिसमें उल्लेख है कि भोजराज रामकल्याण उर्फ कल्याण का एक मात्र वारिस है। लेकिन रामकल्याण उर्फ कल्याण का स्वर्गवास होने के बाद में अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी क्रम 12 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नामान्तकरण सं. 298 दिनांक 20/05/2014 से तथा नामान्तकरण सं. 386 दिनांक 05/03/2014 से रामकल्याण उर्फ कल्याण के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी जो वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित है प्रतिवादिया क्रम 1 रामनाथी बाई के नाम खाता दर्ज कर दी और रामनाथी बाई प्रतिवादिया क्रम 1 आराजी में अपना नाम दर्ज खाता होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमादा है और इसी क्रम में बेचान करने का सौदा भी प्रतिवादिया क्रम 1 ने कर लिया है जिसके साई पेटे दिनांक 21/06/2014 को एक लाख रूपये भी ले लिये है जिसकी जानकारी दिनांक 24/06/2014 को वादी तथा ग्रामवासीयान को होने पर खरीददार को समझाया और साई पेटे दी गई राशि वापिस लौटाई गई। इस तरह से प्रतिवादिया क्रम 1 के जो आराजी खाते दर्ज हुई है उसका वैध स्वामी वादी ही है जो एक मात्र रामकल्याण उर्फ कल्याण का वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इस वजह से नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05/03/2014 तथा 298 दिनांक 20/05/2014 बहक प्रतिवादिया क्रम 1 अवैधानिक एवं गैर कानूनी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादिया क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादिया क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रही और वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी जो प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते दर्ज है को खुर्द बुर्द रहन बेचान कर दिया तो वादी अपने स्वामित्व की आराजी में प्राप्त अधिकारों से वंचित हो जावेगा। क्योंकि वादी गोद पुत्र होने से रामकल्याण उर्फ कल्याण का वैध वारिस उत्तराधिकारी होने की वजह से वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव

नही है। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि नामान्तकरण सं. 298 दिनांक 20/05/2014 तथा नामान्तकरण सं. 386 दिनांक 05/03/2014 बहक प्रतिवादिया क्रम 1 अवैधानिक एवं गैर कानूनी (Null & Void) होने की वजह से उन्हे प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर खारिज किया जावे तथा रामकल्याण उर्फ कल्याण के हिस्से एवं खाते की आराजी जो वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित है पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा आराजी का विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा पृथक से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड खाता दर्ज किया जावे तथा वादी के स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा बैंक ऋण का नोट जिन खातेदारों ने ऋण ले रखा है उनके खाते में अलग से दर्ज किया जावे। दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 रामनाथी बाई द्वारा वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी का विक्रय विलेख दिनांक 04/03/2015 को बहक प्रतिवादी क्रम 14 भगवान एवं विक्रय विलेख दिनांक 09/03/2015 बहक कैलाशचन्द करवाये गये पंजीयन एवं विक्रय विलेख के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 317, 318, 398 दिनांक 21/03/2015 Void होने की वजह से उन्हे शून्य घोषित किया जावे। वादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को अन्तर्गत धारा 80 CPC का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादिया क्रम 1 वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में से अपने हिस्से को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने पर आमादा है। अगर वादी द्वारा नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया और इस अवधि में प्रतिवादिया क्रम 1 ने आराजी का बेचान कर दिया तो वादी द्वारा बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होन की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) CPC के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80 (2) CPC स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर एवं माल बगली तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 21/06/2014 को प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा आराजी का बेचान का सौदा करने तथा अन्तिम बार

दिनांक 24/06/2014 को बेचान की रकम वापस लौटाने के बाद भी पुन बेचान की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद ग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 10 व 11 की शाखा से पक्षकारों द्वारा ऋण ले रखा है इस वजह से उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 10 व 11 पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार क्रम 12 दर्ज किया गया है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया क्रम 1 निम्न आशय पारित की जावे किः—

(अ) नामान्तकरण सं. 298 दिनांक 20/05/2014 एवं 386 दिनांक 05/03/2014 बहक प्रतिवादिया क्रम 1 अवैधानिक एवं गैर कानूनी (Null & Void) होने की वजह से उन्हे प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर खारिज किया जावे।

(अ) (1) दौराने वाद किया गया बेचान दिनांक 09/03/15 एवं 04/03/15 के आधार पर बहक प्रतिवादी क्रम 13,14 खोले गये नामान्तकरण संख्या 317, 318, 398 दिनांक 21/03/2015 भी (Null & Void) होने की वजह से उन्हे प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

(ब) वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में रामकल्याण उर्फ कल्याण के खाते व हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे अर्थात प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते की आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे।

(स) वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से खाता सं. 38 का खसरा नं. 8 का रकबा 1.80 हेक्टर का विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा पृथक से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड खाता दर्ज किया जावे।

(द) प्रतिवादीगण को वादी के स्वामित्व एवं हिस्से की आराजी पर से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(य) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

वादी ने वाद पत्र के साथ शपथ पत्र दिनांक 29.09.2013 की फोटो प्रति, पंचनामा ग्रामवासियान बगली फोटोप्रति, नकल नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 09.05.2014, नकल नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 04.03.2014, नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 ग्राम व माल मोतीपुरा खाता संख्या 38, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर खाता संख्या 152 सम्वत 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बगली खाता संख्या 13 सम्वत 2068–2071 आदि दस्तावेज पेश किए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वादपत्र की चरण क्रम 01 में वर्णित आराजियात व नामांतरण संख्या 386, 298 राजस्व रिकॉर्ड के अंकन तक स्वीकार है, शेष मद वादपत्र, मिथ्या, बनावटी एवं कुटरचित निरर्थक दस्तावेजातो पर आधारित होने से अस्वीकार है। अपितु कथन है कि तथाकथित कुटरचित शपथ पत्र एवं ग्राम वासियान बगली का प्रमाण पत्र दत्तक ग्रहण के वैध दस्तावेज नही है। वादपत्र की चरण क्रम 02 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है। स्पष्ट कथन विशेष आपत्तियों में वर्णित है। वादपत्र की चरण क्रम 03 में वर्णित अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार है, अपितु कथन है कि वादी को प्रतिवादिया क्रम 01 व पति रामकल्याण के खाते की आराजियात बाबत वाद प्रस्तुत करने का कोई वैध वादाधिकार एवं वाद कारण न होने से वाद वादी विधितः संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। वादपत्र की चरण क्रम 04 मिथ्या, बनावटी एवं कपोल कल्पित, प्रमाणहीन, अधिकार विहीन होने से अस्वीकार है। अपितु कथन है कि प्रतिवादिया क्रम 01 के पति मृतक रामकल्याण ने वादी को कभी भी गोद नही लिया। मृतक रामकल्याण मृत्यु दिनांक 25.11.2013 से तीन वर्ष पूर्व से दमा व फोड़े से पीड़ित परबस एवं पराधीन था और अपनी सुध बुध खो चुका था, उसमें सोच विचार करने की क्षमता नही थी। वादी ने बेईमानी पूर्वक योजनाबद्ध षड्यन्त्र रचकर मृतक रामकल्याण के शपथ पत्र दिनांक 29.09.2013 की कुटरचना की है। उक्त शपथ पत्र एवं ग्राम वासियान प्रमाण पत्र दत्तक विधि के सिद्धांतो एवं प्रावधानो से असंगत अवैध एवं निरर्थक अमान्य दस्तावेज होने से वादी द्वारा अपने आपको मृतक रामकल्याण का दत्तक पुत्र बताकर प्रतिवादिया क्रम 01 की सम्पत्ति हड़पने हेतु बईमानीपूर्वक आपराधिक षड़यंत्र से किया गया प्रतिरूपण छल का आपराधिक कृत्य है। वादपत्र की चरण क्रम 05 विधि, विरुद्ध, मिथ्या, बनावटी एवं प्रमाणहीन, अधिकार विहीन होने से अस्वीकार है। अपितु कथन है कि मृतक रामकल्याण की एकमात्र वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी उनकी

धर्मपत्नी प्रतिवादिया क्रम 01 रामनाथी है जो अपने खाते व हक हिस्से एवं आधिपत्य की आराजी की पूर्ण मालिक स्वामिनी होने से अपने खाते की आराजियात को तृतीय पक्ष हित अन्तरण करने की पूर्ण वैधानिक अधिकारिणी होने से वादी, प्रतिवादिया क्रम 01 द्वारा किये जा रहे तृतीय पक्ष हित अन्तरण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादपत्र की चरण क्रम 06 में धारा 80 सी.पी.सी. के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना नहीं किये जाने से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण क्रम 07 अस्वीकार है, अपितु कथन है कि वादी ने मृतक रामकल्याण के दत्तक पुत्र की हैसियत से उक्त वाद पेश किया है। वाद में मृतक रामकल्याण का वादी पुत्र होने बाबत कोई प्रमाण नहीं है। सक्षम न्यायालय से दत्तक घोषित करवाये बिना वादी को प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई वादाधिकार एवं वाद कारण न होने से वाद वादी निरस्तनीय है। वादपत्र की चरण क्रम 08 अस्वीकार है। वादी मृतक रामकल्याण का दत्तक पुत्र न होने से विवादित आराजी में वादी को वादाधिकार एवं वैध वाद कारण न होने से वाद वादी निरस्तनीय है। वादपत्र की चरण क्रम 09 कानूनी है। वादपत्र की चरण क्रम 10 में पक्षकारों में कुसंयोजन का दोष होने से वाद वादी चलने योग्य नहीं है। वादपत्र की चरण क्रम 11 कानूनी है। वादपत्र की चरण क्रम 12 कानूनी है। प्रार्थना वादी अस्वीकार है। इसके साथ ही जवाब दावा में निम्नलिखित विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

विशेष आपत्तियॉ

वादपत्र की चरण क्रम 01 में वर्णित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादिया के नाम खातेदारी एवं गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजियात प्रतिवादिया को अपने पति मृतक रामकल्याण के फौती नामांतरण संख्या 386 व 298 से मृतक रामकल्याण की एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादिया अपने हक हिस्से, खातेदारी, गैर खातेदारी की आराजियात पर काबिज काश्त है। प्रतिवादिया अपने हक हिस्से व खाते की आराजियात की एकमात्र पूर्ण मालिक स्वामिनी होने से आराजियात को रहन बय अन्तरण एवं हस्तान्तरण करने की पूर्ण अधिकारिणी है। प्रतिवादिया के पति मृतक रामकल्याण निःसंतान फौत हुये है। मृतक रामकल्याण व प्रतिवादिया ने वादी भोजराज को न तो गोद लिया ना ही किसी को गोद रखने का कभी मन में विचार किया और न ही वादी को बचपन में अपने पास रखा मृतक रामकल्याण ने अपनी बहिन कल्याणी की पुत्री द्वारका बाई को बचपन में अपने पास रखकर पाला–पोशा और भानेज द्वारक्या बाई का शादी विवाह किया। गत 20 वर्षों से भानेज द्वारका बाई

का पुत्रटीकमचन्द एवं भानेज रेखा का दामाद भगवान जो गांव में रहता है उक्त दोनों व्यक्ति ही हारी बीमारी में हमारी देखभाल एवं सार सम्भाल करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी टीकचन्द व भगवान प्रतिवादिया की देखभाल व सेवा सुश्रुषा करते चले आ रहे है। वादी भोजराज प्रतिवादिया के जेठ चतरा उर्फ चतुर्भुज का पुत्र है, जो अपने पैतृक गांव से अपनी शकुनत तर्क कर भोजराज पुत्र चतुर्भुज उर्फ चतरा की वल्दियत एवं शकूनत से ग्राम केलवाड़ा तहसील शाहबाद में स्थायी निवास कर रहा है। वादी भोजराज के शाला रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड, मतदाता सूची एवं राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में चतुर्भुज उर्फ चतरा वल्दियात दर्ज है। वादी भोजराज अपने पिता चतुर्भुज के नाम से ही राजकीय अर्द्धराजकीय बैंकिग व सहकारी संस्थाओं के रिकॉर्डों में दर्ज है और पिता चतुर्भुज के नाम से ही होश सम्भाला तब से सम्पूर्ण संव्यवहार एवं आचरण कर रहा है। प्रतिवादिया के पति रामकल्याण की मृत्यु उपरांत समस्त परिवारजनों एवं रिश्तेदारान ने मृतक रामकल्याण का अन्तिम क्रियाकर्म किया जिसका सम्पूर्ण खर्चा प्रतिवादिया क्रम 01 ने किया। मृतक रामकल्याण के निःसंतान होने से मृतक रामकल्याण की पगड़ी का दस्तूर नही हो सका। मृतक रामकल्याण की पगड़ी आज भी प्रतिवादिया के पास सुरक्षित रखी हुई है। उक्त तथ्यों की जानकारी समस्त परिवारजनों, रिश्तेदारान व जाति समाज व ग्राम वासियानों को है। वादी ने 70 वर्षीय वृद्ध महिला प्रतिवादिया के खाते की आराजी को हड़पने की नियत से छल कपट एवं बेईमानी पूर्वक आपराधिक षड्यन्त्र रचकर अपनी सुध बुध खोये बीमार रामकल्याण का फर्जी शपथ पत्र का आलेखन करवाकर शपथ पत्र पर रामकल्याण का फर्जी अंगुठा निशानी लगाकर शपथ पत्र दिनांक 29.10.2013 की कुटरचना कर ली है। उक्त शपथ पत्र शपथ आयुक्त एवं पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित नही है उक्त शपथ पत्र शपथ पत्रों के नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज होने से अवैध शून्य एवं अमान्य दस्तावेज है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 29.10.2013 व सादा तहरीर कुटरचित फर्जी दस्तावेज है जो दत्तक ग्रहण विधि के प्रावधानों अनुसार दत्तक ग्रहण बाबत मान्य दसतावेज नहीं है। फर्जी गोदपुत्र बनकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विधितः संधारणय नही होने से निरस्तनीय है। वादी प्रतिवादिया व उसके पति रामकल्याण का गोदपुत्र नही है। वादी ने मृतक रामकल्याण का फर्जी दत्तक पुत्र बनकर प्रतिरूपण छल का अपराध किया है। वादी व उसके गवाहान ने आपराधिक षड्यन्त्र रचकर दस्तावेजात की कुटरचना कर कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत कर धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 (बी) भा.दं.स. का अपराध किया है। वादी मृतक रामकल्याण व

प्रतिवादिया क्रम 01 का गोदपुत्र नही है इस कारण प्रतिवादिया क्रम 01 के खातेदारी की विवादित आराजी में वादी का लोकस स्टेण्डाई वादाधिकार न होने से वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजात दत्तक ग्रहण विलेख के वैध मान्य प्रमाण नहीं है। रजिस्टर्ड दत्तक विलेख के अभाव में मृतक रामकल्याण का वादी के दत्तक पुत्र होने की उपधारणा करना भी दत्तक ग्रहण विधि एवं सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से, विधि द्वारा वर्जित है। प्रतिवादिया 70 वर्ष की वृद्ध बेवा महिला है जो अपने हक हिस्से एवं खाते की आराजी की पूर्ण स्वामिनी होने से अपने खाते की आराजियात को आवश्यकता अनुसार रहन, बय, दान एवं वसीयत करने की पूर्ण अधिकारिणी है। प्रतिवादिया अति वृद्ध एवं विधवा महिला है जिसके हक हिस्से एवं खातेदारी अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण करने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्रतिवादिया काश्तकारी विधि की धारा 46 (क) के नियम सिद्धांतो अनुसार अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की विधितः सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादी ने कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेजातों के आधार पर मिथ्या एवं बनावटी निराधार एवं प्रमाणहीन वाद पेश कर प्रतिवादिया को महज मुकदमेंबाजी में घसीटा है। उक्त वाद का सामना करने में प्रतिवादिया के 50,000/– रूपये का खर्चा एवं मानसिक संताप का विशेष हर्जा एक लाख रूपये प्रतिवादिया वादी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विशेष हर्जा खर्चा सहित निरस्त फरमाया जावे। जवाब दावा के साथ नकल नामान्तरण ग्राम बगली खाता संख्या 109, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बगली खाता संख्या 172 सम्वत 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर खाता संख्या 38 सम्वत 2068–2071, नकल नक्शा ट्रेस, पंचायत मतदाता सूची 2004, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चरडाना, परिवार राशन कार्ड रामकल्याण आदि दस्तावेज पेश किए।

प्रतिवादी क्रम 13 व 14 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित तथ्यो की पूर्व में कोई जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं० 3 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 4 मैं वर्णित तथ्यो की जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं० 5 का विवरण स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की

मद नं० 5 ''ए'' स्वीकार नहीं है क्योंकि मृतक रामकल्याण की एक मात्र वैध वारिस एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादिया क्रम 1 उनकी धर्म पत्नी है जो उसके खाते एवं हिस्से की आराजी की मालिक व स्वामी होने से अपने खाते की आराजी को अन्तरण करने की अधिकारी होने से प्रतिवादी क्रम 13 व 14 द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते की आराजी वैध रूप से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय करके नामान्तरण सं० 317,318,398 दिनांक 21–3–2015 प्रतिवादी क्रम 13,14 के खाते दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी क्रम 13 व 14 क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त है । वाद पत्र की मद नं 06 में धारा 80 सी. पी. सी. के वैधानिक प्रावधानो की पालना नहीं किये जाने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। अपितु कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा बहक प्रतिवादी क्रम 13,14 दिनांक 04.03.2015 व 9–3–2015 को विक्रय विलेख का पंजीयन करवा दिया है और नामान्तरण सं० 317,318,398 से प्रतिवादी क्रम 13,14 के खाते दर्ज हो चुकी है। इस वजह से प्रतिवादी क्रम 13,14 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करवाने का क्षैत्राधिकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र की मद नं० 8 का विवरण स्वीकार नहीं है। क्योकि विवादित आराजी में वादी को कोई वाद अधिकार एवं वेध कारण नहीं होने से वादी का वाद निरस्तनीय है । वाद पत्र की मद नं० 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं० 10 में पक्षकारों में कुसंयोग का दोष होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । वाद पत्र की मद नं० 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं० 12 कानूनी है । वाद में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है तथा प्रतिवादी क्रम 13 व 14 द्वारा निम्नलिखित विशेष विवरण जवाब दावे में पेश किए।

विशेष विवरण

यह कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी रामकल्याण के खाते की थी। मृतक रामकल्याण के एक मात्र वैध वारिस प्रतिवादिया क्रम 1 उसकी पत्नी होने से फौती नामान्तकरण सं० 386 व 298 से प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते दर्ज हुई। प्रतिवादिया क्रम 1 खातेदारी एवं गैर खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त होने से उसे उसके हिस्से एवं खाते की आराजी पर मालिकाना हक होने से उसे रहन बेचान व अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से प्रतिवादी क्रम 13 व 14 द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 को वेध प्रतिफल अदा करके पृथक–पृथक दिनांक 4–3–15 व दिनांक 9–3–2015 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की है और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से

वादग्रस्त आराजी नामान्तरण सं० 317, 318, 398 से प्रतिवादी क्रम 13, 14 के खाते दर्ज हो चुकी है तथा प्रतिवादी क्रम 13, 14 क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 13 व 14 को उक्त उनवान के वाद पत्र में पक्षकार बनाकर उनके विरूद्व अनुतोष चाहा है कि विक्रय विलेख दिनांक 4–3–15 व 9–3–15 एवं नामान्तरण सं० 317,318 व 398 गैर कानूनी एव अवेधानिक होने से प्रभावशून्य घोषित किया जावे। वादी उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योकि विक्रय विलेख को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 13, 14 को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाकर संशोधित वाद पेश किया है। जो मनघडंत एवं झूठे तथ्यो पर पेश किया गया है जो निरस्तनीय है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर प्रतिवादी क्रम 13 व 14 निवेदन करते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

साक्ष्यवादी के तहत pw1 भोजराज पुत्र चतरभुज दत्तक पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू हाल मुकाम राता मोहल्ला केलवाडा तहसील शाहबाद, pw2 बृजमोहन पुत्र देवकिशन जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू, pw3 पूरणमल पुत्र बद्रीलाल जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू, pw4 सूरजमल पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू, pw5 दोलतराम पुत्र जगन्नाथ जाति चोबदार निवासी बगली तहसील अटरू, pw6 रामकरण पुत्र भेरूबन जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू, pw7 तोलाराम पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू, pw8 ओमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू, pw9 मोहनसिंह पुत्र लख्खाराम जाति किराड निवासी सेमली फाटक केलवाडा तहसील शाहबाद, pw10 बृजमोहन पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू, pw11 कल्याण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति मेहता निवासी सेमली फाटक केलवाडा तहसील शाहबाद, pw12 विनू कुमार शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी केलवाडा तहसील शाहबाद के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ बयान दर्ज किये गये तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री बद्रीलाल नागर द्वारा जिरह की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 रामनाथी बाई पत्नी स्व. श्री रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू, Dw2 महेन्द्र पुत्र प्रतापबन्ध जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू, Dw3 दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति गोस्वामी निवासी बगली तहसील अटरू, Dw4 गणेश पुत्र गोपाल जाति गुसाई निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज, Dw5 उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति गुसाई निवासी रिंझिया तहसील छबडा, Dw6 कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल जाति गुसाई निवासी गौतम कॉलोनी वार्ड नं. 26 बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, Dw7 भगवानलाल पुत्र रमेशचन्द्र जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू तथा Dw8 सीताराम पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू, Dw9 रमेशचन्द पुत्र केदारगिरी जाति गुसाई निवासी शेखापुर पोस्ट हलकनिया तहसील छबडा के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ बयान दर्ज किये गये। अभिभाषक वादी श्री मोहनलाल सुमन द्वारा जिरह की गई।

अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भोजराज रामनाथी का एक मात्र वारिस है। दौराने वाद रामनाथी द्वारा भूमि का बेचान किया गया। अतः विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किया जावे तथा रामनाथी के नाम खोला गया नामान्तकरण भी प्रभाव शून्य घोषित किया जावें। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेज, शपथ पत्र (Ex P-14) तथा ग्रामवासियान ग्राम बगली तहसील अटरू (Ex P-15) का जिक्र किया गया तथा कथन किया कि दोनो ही दस्तावेज पर प्रदर्स डलवाए है। अतः यह साक्ष्य में ग्राह्य सबूत है।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- छत्तू सिंह बनाम रणजीत सिंह (S.B. Civil second Appeal No. 145/2016) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय
- जगदीश बनाम चारण व अन्य (Appeal Decree TA No. 4257/2018) माननीय राजस्व मण्डल अजमेर (2002 (2) RRT 921)
- हरिबल्लभ बनाम भगवानसहाय (2018 RBJ 306) माननीय राजस्व मण्डल अजमेर।
- A.I.R. 2009 Supreme Court Page 1502 :-

Transfer of Property Act (4 of 1882)

Transfer of Property Act Sec. 52

●केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार व अन्य (Civil Appeal Nos. 6989-6992/2021) माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

●देबी बनाम रामेश्वर लाल (S.B. Civil First Appeal No. 183/2008) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

●चेनराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य (RRD- 14-08-2016) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

●नन्दा व अन्य बनाम हरि सिंह व अन्य (RRD 14-06-2018)

●हजारी लाल बनाम रतनलाल व अन्य (S.B. Civil Writ Petition No. 5846/2007) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

विद्वान अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा Pw व Dw के निम्नलिखित कथनों तथा जिरह पर दौराने बहस जोर दिया।

pw1 भोजराज पुत्र चतरभुज दत्तक पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण ने शपथ पत्र में कथन किया कि रामकल्याण का दत्तक पुत्र होने से उनका एक मात्र वारिस हुॅं। मुझे रामकल्याण ने रामनाथी की पूर्ण सहमति से गोद लिया था। रामकल्याण ने मेरे पक्ष में पांच आदमियों की उपस्थिति में एक शपथ पत्र वसीयतनामा निष्पादित करवाया था।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में pw1 भोजराज ने स्वीकार किया कि मै रामकल्याण की मृत्यु के 15 वर्ष पूर्व से केलवाडा तहसील शाहबाद में निवास कर रहा हुॅं। रामकल्याण की मृत्यु ग्राम बगली तहसील अटरू में हुई थी। मेरा नाम दत्तक पुत्र के रूप में शाला रिकार्ड, राजस्व रिकार्ड, मतदाता सूची में दर्ज नही है। इन सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम चतुभुर्ज उर्फ चतरा दर्ज है। रामकल्याण जी का पगडी दस्तूर नही हुआ था, रामनाथी तो सहमत थी लेकिन रिश्तेदार खिलाफ थे। शपथ पत्र (Ex P-14) मेरे मकान केलवाडा पर लिखा था। मैने मेरे पिताजी की की जमीन में से पिछले वर्ष हिस्सा लिया है।

pw2 के तहत बृजमोहन पुत्र देवकिशन जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू ने शपथ पत्र में कथन किया की रामनाथी के स्वर्गीय पति रामकल्याण ने मेरे सामने एक वसीयतनामा लिखवाया था। यह वसीयतनामा मैने स्वयं ने पढकर रामकल्याण को सुनाया था

जिस पर मैने भी हस्ताक्षर किये थे तथा रामकल्याण ने वसीयतनामा पर मेरे सामने अपना अंगुठा लगाया था।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में बृजमोहन पिता देवकिशन ने स्वीकार किया कि शपथ पत्र (Ex P-14) मेरे सामने केलवाडा में लिखा गया था तथा प्रमाण पत्र (Ex P-15) भी केलवाडा में लिखा था, फिर स्वीकार किया की प्रमाण पत्र (Ex P-15) तो बगली में लिखा था। भोजराज को 22 वर्ष पूर्व गोद लिया था तथा पगडी दस्तूर नही होना स्वीकार किया। प्रमाण पत्र रामकल्याण की मृत्यु के बाद लिखा गया क्योंकि जमीन बेचान की बात चल रही थी।

pw3 के तहत पूरणमल पुत्र बद्रीलाल जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू ने बयान किया कि 28–29 वर्ष पूर्व रामकल्याण गुसाई ने ग्राम बगली में समाज की पंचायती में भोजरान को गोद लिया। भोजराज ने ही बेटे का फर्ज निभाते हुए रामकल्याण की अवेर–सवेर की। रामनाथी ने भोजराज के साथ धोखा कर जमीन अपने नाम करवा ली।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में पूरणमल ने स्वीकार किया कि भोजराज की गोद की रस्म गांव के लोगों ने मिलकर की फिर स्वीकार किया कि पंचायती भी हुई थी। पूरणमल ने स्वीकार किया कि 20–25 वर्ष पूर्व पढाई छोडकर केलवाडा चला गया। रामकल्याण जी बगली में रहते है।

pw4 के तहत सूरजमल पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी बगली तहसील अटरू ने बयान दिया कि भोजराज को रामकल्याण ने गोद लिया था। भोजराज ही रामकल्याण का वारिस है। गोद की रस्म पूरे समाज के तथा अन्य समाज के लोगों के सामने हुई थी।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में सूरजमल ने कहा कि गोद की रस्म के समय भोजराज की शादी हो चुकी थी, रस्म रामकल्याण के घर के बाहर हुई थी।

pw5 के तहत दोलतराम पुत्र जगन्नाथ जाति चोबदार निवासी बगली ने बयान दिया कि भोजराज की गोद की रस्म हुई थी। भोजराज राकल्याण का दत्तक पुत्र वारिस है। रामकल्याण की अवेर–सवेर भोजराज ने की थी।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में दौलतराम ने स्वीकार किया कि रामकल्याण ने वसीयतानामा मेरे सामने लिखकर नही दिया। अभी भोजराज केलवाडा रहता है। मृत्यु के समय भोजराज रामकल्याण के पास था। अभी रामकल्याण की पत्नी की अवेर–सवेर कैलाश, भगवान कर रहे है।

pw6 के तहत रामकरण पुत्र भेरूबन जाति गुसाई निवासी बगली ने कथन किया कि रामनाथी व रामकल्याण बगली में निवास करते थे। रामकल्याण ने 27–28 वर्ष पूर्व भोजराज को गोद लिया व गोद की रस्म हुई थी।

pw7 के तहत तोलाराम पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी बगली ने बयान किया कि रामकल्याण ने भोजराज को गोद लिया था। भोजराज रामकल्याण का दत्तक पुत्र है। रामकल्याण ने एक वसीयतनामा केलवाडा में भोजराज के पक्ष में करवाया था।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में तोलाराम ने स्वीकार किया कि रस्म दिन में हुई होगी। रस्म में केवल भोजराज को गोद लेने की बात हुई थी रामनाथी वहां मोजूद थी। वसीयतनामा केलवाडा में लिखा गया था।

pw8 के तहत ओमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति गुसाई निवासी बगली ने कथन किया कि रामकल्याण ने 1988 में भोजराज को गोद लिया। भोजराज रामकल्याण का एक मात्र वारिस है। उसी ने रामकल्याण की अवेर–सवेर की है।

pw9 के तहत मोहनसिंह पुत्र लख्खाराम जाति किराड निवासी सेमली फाटक केलवाडा तहसील शाहबाद ने बयान किया कि रामकल्याण ने भोजराज के पक्ष में वसीयत 29.09. 2013 को मेरे सामने लिखवाई तथा रामकल्याण की पत्नी ने भी उसमें सहमति दी थी।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में मोहनसिंह ने स्वीकार किया कि रामकल्याण की मृत्यु केलवाडा में हुई हो तो मुझे पता नही। रामकल्याण जी की पत्नी का नाम रामजानकी है, रामनाथी नही।

pw10 के तहत बृजमोहन पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी बगली ने बयान किया कि रामकल्याण ने पत्नी रामजानकी की उपस्थिति में वसीयतनामा, रामजानकी की सहमति से भोजराज के पक्ष में 29.09.2013 को लिखवाया।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में बृजमोहन ने स्वीकार किया कि स्टाम्प लिखने के एक महीने बाद रामकल्याण की मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार बगली में किया तथा मृत्यु भी बगली में हुई। रामकल्याण की पत्नी का नाम रामनाथी है। वह बगली में रहती है, भोजराज के पास नही रहती। स्टाम्प विनोद ने लिखा था।

pw11 कल्याण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति मेहता निवासी सेमली फाटक केलवाडा तहसील शाहबाद ने कथन किया कि रामकल्याण ने मेरे तथा बृजमोहन, मोहन सिंह, विनू कुमार के सामने वसीयतनामा लिखवाया कि मेरे 100 वर्ष पूरे होने पर मेरी सम्पति का वारिस भोजराज होगा तथा इस पर रामनाथी ने भी सहमति दी थी।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में कल्याण सिंह ने स्वीकार किया कि मैने रामनाथी बाई को नही देखा। (Ex P-14) विनोद शर्मा ने लिखा, स्टाम्प 2013 में लिखा था। भोजराज 15 वर्षो से केलवाडा रहता है। लिखा पढी के समय भोजराज ने मुझे रामनाथी के बारे में बताया।

pw12 के तहत विनू कुमार शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी केलवाडा तहसील शाहबाद ने कथन किया की भोजराज के पक्ष में 29.09.2013 को रामकल्याण ने एक वसीयतनामा लिखवाया था जिसमें रामनाथी बाई की भी सहमति थी। मैं स्टाम्प लिखने गया था (Ex P-14) मेरा कलमी है जिस पर G to H मेरे हस्ताक्षर है। M to N इबारत मेरी कलमी नही है। बल्कि N to O तथा X to Y इबारत मेरी कलमी है। X स्थान पर रामकल्याण का अंगूठा लगवाया था।

जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में स्वीकार किया कि स्टाम्प लिखने के लिए मुझे भोजराज ने बुलाया। मेरी भोजराज से अच्छी जान पहचान है। रामकल्याण की मृत्यु कब हुई मुझे पता नही है।

अभिभाषक प्रतिवादी ने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए अभिभाषक वादी की दलीलों का पुराजोर विरोध किया तथा कहा कि जब नामान्तकरण खोला गया तब वादी ने किसी भी न्यायालय में अपील नही की क्योंकि रामनाथी बाई रामकल्याण की एकमात्र वारिस थी। रामकल्याण जी ने भोजरान को गोद नही लिया। रामकल्याण जी ने अपनी बहिन कल्याणी की पुत्री द्वारका बाई को अपने पास रखकर पाला पोशा। चरडाना ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र (दिनांक 26.12.2013) में भी रामनाथी को रामकल्याण जी की एक मात्र वारिस बताया था। राशन कार्ड संख्या 010282600028 में भी सिर्फ रामकल्याण जी व रामनाथी का नाम दर्ज है। पंचायत मतदाता सूची, 2004 वार्ड संख्या 13, केलवाडा तहसील शाहबाद के क्रम संख्या 65, 66 पर भोजराज/चतुभुर्ज तथा कैलाशी/भोजराज दर्ज है जो दर्शाता है कि भोजराज केलवाडा तहसील शाहबाद में रहता है तथा उसके पिता का नाम भी चतुर्भुज दर्ज है। अभिभाषक प्रतिवादी ने कथन किया कि रामकल्याण जी की पगडी की रस्म नही हुई। प्रस्तुत शपथ पत्र रामनाथी की जमीन

हडपने हेतु फर्जी तरीके से तैयार किया गया है तथा शपथ पत्र की ऊपर की चार लाइनें भी अलग हेंड राइटिंग में लिखी गई है। गोदनामा पंजीकृत होना चाहिए। भोजराज गोद पुत्र नही हैं अतः भोजराज को वाद लाने का अधिकार भी नही था। वर्ष 2018 में भोजराज ने अपनी बेटी की शादी की उस शादी के निमंत्रण पत्र में भी भोजराज ने अपने पिता का नाम चतुर्भुज ही लिखवाया था।

Dw1 के तहत रामनाथी बाई पत्नी स्व. श्री रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू ने कथन किया कि मैं रामकल्याण जी की एकमात्र वारिस हुॅ। रामकल्याण जी की मृत्यु होने पर उनके नाम दर्ज आराजी जरिए इंतकाल मेरे नाम दर्ज की गई। मैने प्रतिवादी क्रम 13 कैलाशचन्द व प्रतिवादी क्रम 14 भगवानलाल को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया। रामकल्याण जी की मृत्यु उपरान्त समस्त परिवारजन व रिश्तेदारों ने उनका अन्तिम क्रियाक्रम किया जिसका खर्चा मैने उठाया, रामकल्याण जी निःसंतान फौत हुए थे, उनकी पगडी का दस्तुर नही हो सका था। रामकल्याण जी ने अपने जीवनकाल में भोजराज को गोद नही लिया। गत 20 वर्षो से से भानेज द्वारका बाई का पुत्र टीकमचन्द एवं भानेज रेख का दामाद भगवान हारी–बीमारी में मेरी देखभाल करते है। भोजराज मेरे जेठ चतरा उर्फ चतुर्भुज का पुत्र है जो केलवाडा तहसील शाहबाद में रहता है।

जिरह अभिभाषक वादी में रामनाथी बाई ने स्वीकार किया कि जमीन कब बेची मुझे याद नही, खरीददार ने जमीन का पैसा मुझे नही दिया लेकिन मेरे पति का कर्जा उतारा है। खरिददारों ने हमारा कर्जा उतारा है।

Dw2 के तहत महेन्द्र पुत्र प्रतापबन्ध जाति गुसाई निवासी बगली ने शपथपूर्वक बयान किया कि रामनाथी रामकल्याण की एक मात्र वारिस है। रामकल्याण ने भोजराज को गोद नही लिया। भोजराज काफी समय पहले केलवाडा चला गया। भोजराज ने कभी रामनाथी व रामकल्याण की सेवा नही की।

Dw3 के तहत दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति गोस्वामी निवासी बगली ने कथन किया कि रामकल्याण द्वारा भोजराज को गोद लेने की बात नही सुनी। रामकल्याण का पगडी दस्तूर भी नही हुआ। रामकल्याण की एकमात्र वारिस रामनाथी बाई हैं। भोजराज 25–26 वर्षो से केलवाडा में निवास करता है।

जिरह अभिभाषक वादी में दुर्गाशंकर ने स्वीकार किया कि मुझे पता नही है कि रामकल्याण जी ने भोजराज को गोद ले रखा है। मुझे यह भी पता नही कि रामनाथी बाई ने कितनी जमीन बेचीं। मैं यह बता सकता हुॅ कि पुरा ग्राम बगली भोजराज को रामकल्याण का गोद पुत्र मानता है।

Dw4 के तहत गणेश पुत्र गोपाल जाति गुसाई निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज ने कथन किया कि रामनाथी बाई जो मेरी मौसी है इन्होनें ही रामकल्याण जी की मृत्यु पर सारी रस्में करवाई थी। रामकल्याण जी ने भोजराज को गोद नही लिया।

जिरह अभिभाषक वादी में गणेश ने कहा कि जिस समय पगडी दस्तूर होने लगा उस समय 5 व्यक्तियों ने कहा कि पगडी भोजराज के बांध दो लेकिन रामनाथी बाई ने मना कर दिया। रामकल्याण द्वारा रामनाथी बाई की सहमति से भोजराज को गोद नही लिया।

Dw5 उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति गोस्वामी निवासी रिंझिया तहसील छबडा ने कथन किया कि मेरे फुफाजी रामकल्याण जी के कोई संतान नही थी मेरे फुफाजी ने भोजराज को कभी अपना दत्तक पुत्र नही माना क्योंकि वह केलवाडा रहता है। फुफाजी अन्तिम समय तक रामनाथी बाई के साथ बगली में ही रहे।

जिरह वकील वादी में उमाशंकर ने कहा कि भोजराज को जब रामकल्याण जी की पगडी बांधने लगे तब बुआजी ने पगडी नही बांधने दी।

Dw6 कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल जाति गुसाई निवासी गौतम कॉलोनी वार्ड नं. 26 बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने कथन किया कि रामनाथी बाई विवादित आराजी पर कब्जा काश्त थी। रामनाथी द्वारा किए गए दोनो बेचाननामा वैध है तथा नामान्तकरण संख्या 317, 318, 398 दिनांक 21.03.2015 वैध है।

जिरह वकील वादी में कैलाशचन्द ने कहा कि भोजराज को रामकल्याण ने गोद नही रखा।

Dw7 भगवानलाल पुत्र रमेशचन्द्र जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू ने कथन किया कि दिनांक 04.03.2015 को ग्राम बगली की खाता संख्या 13 की ख0नं0 70/616 रकबा 0.64 है0 आराजी रामनाथी बाई से दो लाख रूपये में जरिए रजिस्टर्ड बेनामा खरिदी थी।

जिरह वकील वादी में भगवानलाल ने कहा कि रामनाथी भोजराज के पगडी नही बंधवाना चाहती थी।

Dw8 सीताराम पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू ने कथन किया कि रामनाथी बाई ने कैलाशचन्द्र पुत्र शंकरलाल के पक्ष में जो रजिस्टर्ड बेनामा करवाया उसमें मैं गवाह हुॅ। क्रेता ने जमीन की राशि तीन लाख पचास हजार रूपये विक्रेता को मेरे सामने अदा की। रामकल्याण द्वारा भोजराज को गोद लेने की बात मैने नही सुनी। रामनाथी के अलावा भोजराज का कोई वारिस नही है।

जिरह वकील वादी में सीताराम ने स्वीकार किया कि मुझे इस बात की जानकारी नही है कि रामकल्याण ने भोजराज को गोद लिया था।

Dw9 रमेशचन्द पुत्र केदारगिरी जाति गुसाई निवासी शेखापुर पोस्ट हलकनिया तहसील छबडा ने कथन किया कि रामकल्याण जी मेरे साडू थे। मैने भोजराज को रामकल्याण जी द्वारा गोद लेने की बात नही सुनी और ना ही गोद रस्म को देखा। रामकल्याण जी का पगडी दस्तूर भी भोजराज के नही हुआ। रामनाथी बाई उनकी एकमात्र वारिस है।

जिरह वकील वादी में रमेशचन्द्र ने स्वीकार किया कि पगडी दस्तूर का कार्यक्रम सुबह 09:10 बजे शुरू हुआ था वहां 50 आदमी गांव के व मेहमान थे। गांव के व समाज के पांच आदमी भोजराज के पगडी बांध रहे थे लेकिन शंकरलाल, नन्दलाल ने पगडी नही बांधने दी फिर खुद कहा कि रामनाथी बाई ने मना कर दिया। पगडी दस्तूर नही हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों (शपथ पत्र दिनांक 29.09.2013, पंचनामा ग्राम वासियान बगली, नकल नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 09.05.2014, नकल नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 04.03.2014, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा खाता संख्या 38 सम्वत 2068–71, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर खाता संख्या 152 सम्वत 2068–71, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बगली खाता संख्या 13 सम्वत 2068–71, नकल नामान्तरण ग्राम बगली खाता संख्या 109, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बगली खाता संख्या 172 सम्वत 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर खाता संख्या 38 सम्वत 2068–2071, नकल नक्शा ट्रेस, पंचायत मतदाता सूची 2004, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चरडाना, परिवार राशन कार्ड रामकल्याण व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no. – 2015000928 दिनांक 27.04.2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no.–2015000929 दिनांक 27.04.2015, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no.–2015000927 दिनांक 27.04.2015) का अध्ययन किया गया।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

जोत का विभाजन (धारा 53 आर0टी0 एक्ट) :–

1. दिनांक 11.11.1992 से विलोपित
2. जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जावेगा–
   - i- सह अभिधारियों के बीच
   - ii- एक या अधिक सह अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा
3. विलोपित
4. किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में सभी सह अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाए जायेंगे।
5. एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते की पक्षकार वे ही हों।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 कतिपय अतिचारियों की बेदखलीः–

i- इस अधिनियम में किसी उपबंध मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वाद पत्र के मद नं० 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर तहसील अटरू में स्थित है जो मृतक रामकल्याण के गैर खातेदारी तथा खातेदारी थी।

वादी

2. आया वादी को प्रतिवादी क्रम 1 के पति रामकल्याण उर्फ कल्याण ने दत्तक पुत्र, गोद पुत्र बनाया था रामकल्याण का एक मात्र वारीस वादी होने की वजह से रामकल्याण उर्फ कल्याण ने एक वसीयत नामा, शपथ पत्र दिनांक 29.09.2013 को निष्पादित करवाया था।

वादी

3. आया रामकल्याण का स्वर्गवास होने के बाद मे प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से आराजी नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 20.05.2014 तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05.03.2014 अपने नाम करवा ली जिसको वादी प्रभाव शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी हैं।

वादी

4. आया दोराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये गये विक्रय विलेख बहक प्रतिवादी क्रम 13, 14 दिनांक 04.03.2015 तथा दिनांक 09.03.2015 तथा उसके आधार पर खोले गये नातान्तकरण 317, 318, 398 दिनांक 21.03.2015 Void होने की वजह से उन्हे वादी (Null & Void) प्रभाव शून्य घोषित करवा पाने का अधिकारी है।

वादी

5. आया वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 1, 13, 14 को आराजी पर से बेदखल करवाकर कब्जा वादी प्राप्त करके उन्हे पाबन्द करवा पाने का अधिकारी हैं।

वादी

6. आया मृतक रामकल्याण ने अपनी बहन कल्याणी बाई की पुत्री द्वारकाबाई को पाला पोशा था तथा शादी की थी। टीकमचन्द एवं भानेज रेखा का जवाई भगवान ही प्रतिवादी क्रम 1 की देखभाल करते आये हैं।

प्रतिवादिया क्रम 1

7. आया वादी प्रतिवादी क्रम 1 के जेठ चतरा उर्फ चतुर्भुज का पुत्र है जो केलवाडा में निवास कर रहा है तथा मृतक रामकल्याण की पगडी का दस्तूर भी नही हो सका।

प्रतिवादिया क्रम 1

8. आया वादी ने फर्जी शपथ पत्र दिनांक 29.10.2013 को रामकल्याण के नाम का बनवाया है।

प्रतिवादिया क्रम 1

9. आया प्रतिवादिया क्रम 1 राज्य सरकार से अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

प्रतिवादिया क्रम 1

10. आया नातान्तकरण संख्या 317, 318, 398 दिनांक 21.03.2015 को प्रतिवादी क्रम 13, 14 के पक्ष में खोले गये है वह क्रय शुदा आराजी पर खोले गये है जो वैध है तथा आराजी पर प्रतिवादी क्रम 13, 14 काबिज हैं।

प्रतिवादी क्रम 13, 14

11. आया विक्रय विलेख को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को हैं।

प्रतिवादी क्रम 13, 14

12. दादरसी

पुनः पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजों, अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों, बहस, अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/जिरह साक्ष्य का अध्ययन कर विवेचन व विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य तनकीवार साबित होते है।

तनकी नं0 1 :– जमीन का विवरण जो प्रस्तुत दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर खाता संख्या 38 सम्वत 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खाता संख्या 152 सम्वत 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बगली खाता संख्या 13 सम्वत 2068–71,

नकल नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 09.05.2014, नकल नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 04. 03.2014 से साबित है। अतः तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :–प्रदर्श–14 जिसकी शुरूआत शब्द ''शपथ पत्र'' से हुई है जिसमें ''मैं कि रामकल्याण पुत्र भवरबन जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान का रहने वाला हुॅ, जो ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हुॅ जो कि मेरे बडे भाई का लडका चतुर्भुज पुत्र भंवरबन का लडका छोटा भोजराज गुसाई को मेने 22 वर्ष पहले गोद ले रखा है। जिसका उल्लेख मेंने सादे कागज पर लिखवा दिया था जिसमें गांव के पांच आदमी भी शामिल है। इसी गोद नामें के आधार पर नया गोदनामा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा रहा हुॅ। क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत हो गई है कब भगवान के यहां से बूलावा आ जावें और में चला जाऊ मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल सम्पति का वारिस भोजराज गुसाई होगा एवं मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की देख रेख उसकी परवरिश की जिम्मेदारी भोजराज की होगी। यह लेख में पूर्ण होश हवास एवं बिना नशे पते एवं अपनी पत्नी रामनाथी की सहमति से लिखवा रहा हुॅ। प्रसर्द–14 को वादी ने वाद पत्र की मद नं0 4 में शपथ पत्र बताया है। प्रदर्स–14 को ही इस दस्तावेज की पंक्तियों में गोदनामा बताया है तथा प्रदर्स–14 की पंक्तियों में ही यह दस्तावेज रामनाथी की सहमति से लिखा जाना बताया गया है। प्रदर्स–14 पर रामनाथी के हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी अंकित नही है ना ही यह दस्तावेज पंजिकृत है। Dw1 के रूप में रामनाथी ने स्वयं कथन किया है कि ''मेरे पति रामकल्याण ने अपने जीवनकाल में न तो वादी भोजराज को गोद लिया और न ही उनके मन में ऐसा विचार आया''। हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार हिन्दू पुरूष की दत्तक लेने की सामर्थ्य में उसकी पत्नी जीवित होने पर पत्नी की सहमति आवश्यक है। पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नही लेगा। रामकल्याण के राशन कार्ड संख्या 010282600028, ग्राम बगली चरडाना में भी रामकल्याण व रामनाथी के नाम दर्ज है भोजराज का नही, पंचायत मतदाता सूची 2004, गांव दाता केलवाडा तहसील शाहबाद, वार्ड संख्या 13 में भोजराज के पिता का नाम चतुर्भुज दर्ज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रामकल्याण की पत्नी रामनाथी रामकल्याण की मृत्यु के समय जीवित थी तथा उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उक्त शपथ पत्र गोदनामा साबित नही होता है। इस प्रकार रामकल्याण का एक मात्र वारिस वादी साबित नही होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसे शपथ पत्र, गोदनाामा तथा वसीयतनामा भी वादी पक्ष द्वारा बताया गया है जिस पर 29.09.2013 तिथि अंकित है। एक

ही दस्तावेज को प्रस्तुत कर उसे शपथ पत्र, गोदनामा एवं वसीयतनामा बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रामनाथी ही रामकल्याण की वारिस साबित होती है तथा यह दस्तावेज कूटरचित प्रतीत होता है। अतः तनकी नं0 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 3 :–रामकल्याण उर्फ कल्याण के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रामकल्याण की मृत्यु की तारीख 25.11.2013 अंकित है। दिनांक 26.12.2013 को ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार रामनाथी को रामकल्याण की एक मात्र वारिस माना गया। प्रदर्स–3 नामान्तकरण संख्या 298 जो दिनांक 20.05.2014 को ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा स्वीकृत किया गया है, पर अंकित सजरे में रामनाथी बाई को वारिस के रूप में दर्शाया गया है तथा पटवारी ने भी रामनाथी बाई को एकमात्र वारिस माना है तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी में सभी अंकन सही बताए है। उसके पश्चात दिनांक 20.05.2014 को नामान्तकरण संख्या 298 स्वीकृत किया गया । प्रदर्श–4 नामान्तरण संख्या 386 दिनांक 05.03.2014 को ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें भी पटवारी द्वारा रामनाथी बाई को रामकल्याण की एक मात्र वारिस माना है तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी में अंकन को सही बताया हैं। उसके बाद नामान्तकरण संख्या 386 स्वीकृत किया गया।

उक्त दोनों नामान्तकरणो के प्रक्रियाधीन रहने के दौरान वादी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति पेश नही की गई। अतः उक्त दोनो नामान्तकरणों को अवैधानिक बताया जाना साबित नही होता है तथा तनकी संख्या 2 के निर्णय के अनुसार वादी का गोदनामा भी साबित नही होता है। अतः वादी नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 20.05.2014 तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05.03.2014 को प्रभाव शून्य घोषित करवाने का अधिकारी साबित नही होता है। अतः तनकी नं0 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादी के विपक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 4 :–वाद के दौरान वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें वादी ने स्वयं कथन किया है कि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 16. 02.2015 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां करने पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। इसी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी की मद नं0 2 में वादी ने

कथन किया है कि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 16.02.2015 को निर्णय हो जाने के बाद वाद ग्रस्त आराजी का बेचान किया गया। वादी ने शपथ पत्र/गोदनामें के आधार पर स्वयं को विवादित आराजी का वारिस मानते हुए तनकी संख्या 4 में वर्णित नामान्तकरणों को प्रभाव शून्य घोषित करवा पाने का अधिकारी बताया है। तनकी संख्या 2 के निर्णय के अनुसार वादी गोदनामा साबित करने में असफल रहा है तथा वादी के कथन के अनुसार बेचान न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट खारिज करने के बाद किया गया है। अतः नामान्तकरण संख्या 317, 318, 398 को प्रभाव शून्य करवाने का वादी अधिकारी साबित नही होता है। अतः तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 5 :–वादी ने वाद पत्र की मद नं0 4 में प्रतिवादिया क्रम 1 रामनाथी बाई के पति रामकल्याण उर्फ कल्याण स्वयं को रामकल्याण का एक मात्र वारिस बताया है। नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 20.05.2014 तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05.03.2014 के अनुसार रामनाथी रामकल्याण की एक मात्र वारिस है, ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2013 के अनुसार भी रामनाथी को रामकल्याण का एक मात्र वारिस माना गया है तथा तनकी संख्या 2 में किए गए विश्लेषण के आधार पर भी वादी रामकल्याण का वारिस साबित नही होता है। अतः वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवा पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादिया क्रम 1 रामकल्याण की पत्नी है। अतः वह रामकल्याण की वैध वारिस साबित है तथा प्रतिवादी क्रम 13 व 14 को बेचान प्रदर्स–8 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no. – 2015000928 दिनांक 27.04.2015) एवं प्रदर्स–9 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no.–2015000929 दिनांक 27.04.2015) तथा प्रदर्स–10 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no.– 2015000927 दिनांक 27.04.2015) के द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 रामनाथी बाई द्वारा किया गया तथा तनकी नं0 2 के निर्णय के अनुसार वादी रामकल्याण का वारिस साबित नही है। अतः प्रतिवादी क्रम 1, 13, 14 को वादी विवादित आराजी से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करके उन्हे पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। अतः तनकी नं0 5 का निर्णय वादी के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 6 :–प्रतिवादी क्रम 1 रामनाथी बाई ने Dw 1 के रूप में सशपथ बयान किया है कि मृतक रामकल्याण ने अपनी बहिन कल्याणी की पुत्री द्वारका बाई को बचपन में अपने पास रखकर

पाला पोशा और भानेज द्वारका बाई का विवाह किया तथा द्वारका बाई का पुत्र टीकमचन्द एवं भानेज रेखा का दामाद भगवान ही मेरी हारी बीमारी में देखभाल करते है। जिरह अभिभाषक वादी में भी उक्त तथ्यों को अभिभाषक वादी मिथ्या साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 6 का निर्णय भी प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 7 :–पंचायत मतदाता सूची 2004 गांव दाता, केलवाडा तहसील शाहबाद, बारां के क्रम संख्या 65 पर भोजराज पिता चतुर्भुज नाम दर्ज है तथा इसी मतदाता सूची में क्रम संख्या 66 पर कैलाशी पत्नी भोजराज नाम दर्ज है। राशन कार्ड संख्या 010282600028, ग्राम बगली चरडाना में भी रामकल्याण व रामनाथी के नाम दर्ज है लेकिन भोजराज का नाम दर्ज नही है। Pw 1 के रूप में भोजराज ने स्वयं सशपथ कथन किया कि '' मैं भोजराज उम्र 42 वर्ष पुत्र चतरभुज दत्तक पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू हाल मुकाम राता मोहल्ला केलवाडा तहसील शाहबाद बारां का रहने वाला हुॅ। जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में भोजराज ने स्वीकार किया कि अभी मैं परिवार सहित केलवाडा निवास कर रहा हुॅ। रामकल्याण की मृत्यु के 15 वर्ष पूर्व से केलवाडा निवास कर रहा हुॅ। अप्रेल 2018 में भोजराज ने स्वयं के पुत्र दीपक की शादी के निमंत्रण पत्र में स्वयं का निवास केलवाडा बताया है। उपरोक्त तथ्यों से साबित है कि भोजराज केलवाडा में निवास कर रहा है। जिरह अभिभाषक प्रतिवादी में स्वयं भोजराज ने स्वीकार किया है कि रामकल्याण जी की पगडी का दस्तूर नही हुआ, दस्तूर होने नही दिया। अतः यह साबित है कि रामकल्याण जी का पगडी दस्तूर नही हुआ। अतः तनकी संख्या 7 का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 8 :–वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जिस पर प्रदर्स–14 डाला गया है तथा इस पर 29.09.2013 तिथि अंकित है। इसी दस्तावेज को वादी द्वारा गोदनामा व वसीयतनामा भी बताया गया है। यह दस्तावेज शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित भी नही है ना ही यह कोई पंजीकृत दस्तावेज है तथा इसे सही साबित करने के लिए वादी अभिभाषक द्वारा शपथ आयुक्त का रजिस्टर पेश नही किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को शपथ पत्र साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं0 8 का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 9 :–प्रतिवादिया क्रम 1 रामकल्याण की वारिस साबित है। अतः वह अपने खातेदारी की सुरक्षा व संरक्षक प्राप्त करने की अधिकारी साबित होती है। इस प्रकार तनकी नं0 9 का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 10 :–नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 20.05.2014 तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 05.03.2014 के अनुसार रामनाथी रामकल्याण की एक मात्र वारिस है, ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2013 के अनुसार भी रामनाथी को रामकल्याण का एक मात्र वारिस माना गया है तथा तनकी संख्या 2 में किए गए विश्लेषण के आधार पर भी वादी रामकल्याण का वारिस साबित नही होता है। प्रतिवादी क्रम 13 व 14 को बेचान प्रदर्स–8 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s.no. – 2015000928 दिनांक 27.04. 2015) एवं प्रदर्स–9 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s. no.–2015000929 दिनांक 27.04. 2015) तथा प्रदर्स–10 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र Document s. no.– 2015000927 दिनांक 27. 04.2015) के द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 रामनाथी बाई द्वारा किया गया तथा तनकी नं0 2 के निर्णय के अनुसार वादी रामकल्याण का वारिस साबित नही है। अतः नामान्तकरण संख्या 317, 318, 398 दिनांक 21.03.2015 को प्रतिवादी क्रम 13 व 14 के पक्ष में खोले गये है जो वैध साबित है तथा वादी प्रतिवादी क्रम 13 व 14 का कब्जा नही होना भी साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं0 10 का निर्णय वादी के विरूद्व व प्रतिवादी क्रम 13 व 14 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 11 :–धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अधिकारिता की अवधारणा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्वान्त तय किए गए है–

i- राजस्थान अभिधृति अधिनियम के प्रत्यक्ष उपबंध के द्वारा ही सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित की जा सकती है।

ii- अधिकारिता के प्रश्न का निर्णय आरंभिक प्रकम पर वाद पत्र में दिये अभिकथनों के आधार पर तय करना चाहिए।

iii- वाद का सारतत्व और मुख्य उद्देश्य क्या है तथा पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद क्या है ?

प्रस्तुत वाद भोजराज बनाम रामनाथी वगै0 में वादी ने प्रतिवादिया के नाम दर्ज नामान्तकरणों को अवैधानिक बताया है तथा उन्हे प्रभाव शून्य घोषित कर खारिज करने हेतु अनुतोष चाहा है। जबकि प्रतिवादिया क्रम 1 रामकल्याण की वारिस साबित है तथा प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा किए गए बेचाननामा को प्रभावशून्य घोषित करन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादिया क्रम 1 रामकल्याण की वारिस साबित होने से प्रतिवादिया द्वारा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही

शून्य नही है तथा शून्य करणीय विक्रय विलेख को रद्द करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। अतः तनकी संख्या 11 का निर्णय प्रतिवादी क्रम 13, 14 के पक्ष में किया जाता हे।

पुनः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अध्ययन तथा विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष –(अ), (अ)(1), (ब), (स), (द), (य) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 57/2014 **दायर दिनांक :–27.06.2014**

उनवान

1. भोजराज उम्र 40 वर्ष पुत्र चतरभुज दत्तक पुत्र रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू हाल मुकाम राता मोहल्ला केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. रामनाथी बाई उम्र 70 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. नन्दकिशोर उम्र 55 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुसाई निवासी बगली हाल मुकाम पावर हाउस बारां तहसील बारां जिला बारां (राज०)
3. कस्तूरी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि गोरधन जाति गुसाई निवासी छतरिया के पास मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
4. शंकरलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति गुसाई निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. शिवराम उम्र 55 वर्ष पुत्र चतरा उर्फ चतरभुज जाति गुसाई निवासी बंगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. भोजराज उम्र 40 वर्ष पुत्र चतरा उर्फ चतरभुज जाति गुसाई निवासी राता मोहल्ला केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)
7. चाहन्या बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि सत्यनारायण जाति गुसाई निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. सज्जन बाई उम्र 48 पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि भैरूलाल जाति गुसाई निवासी गोविन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. अनोख बाई उम्र 37 वर्ष पुत्री चतरा उर्फ चतरभुज पत्नि भीमराज जाति गुसाई निवासी पुराने थाने के सामने केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज०)
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज०)
11. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां (राज०)
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)
13. कैलाशचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति गुसाई निवोसी गोत्तम कालोनी वार्ड नं. 46 कोटा तहसील लांडपुरा कोटा जिला कोटा (राज०)
14. भगवानलाल आयु 30 पुत्र रमेशचन्द जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 89, 91, 53, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 1, 13 व 14

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर के खाता सं. 38 का ख.नं. 8 का रकबा 1.80 है0 ग्राम व माल मोतीपुरा जागीर के खाता सं. 152 का ख.नं. 3 का रकबा 1.46 है0 व ग्राम एवं माल बगली के खाता सं. 13 का ख.नं. 70/616 का रकबा 0.64 हेक्टर, ख.नं. 313 का रकबा 0.04 हेक्टर, ख.नं. 314 का रकबा 0.04 हेक्टर, ख.नं. 315 का रकबा 0.05 हेक्टर, ख. नं. 319 का रकबा 0.06 हेक्टर, ख. नं. 324/618 का रकबा 0.11 हेक्टर कुल किता 6 का कुल रकबा 0.94 हेक्टर आराजीयात के संबंध में पेश वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)